राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 721/2024

डॉ. महेन्द्र सिंह शेखावत **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशु चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, पशु चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 06.03.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हेमन्त कुमार शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता/केविएटर

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय गुढा गौडजी, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, चांदराई जालौर किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 500 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी की जन्म तिथी दिनांक 13.07.1965 के आधार पर दिनांक 31.07.2025 को राजकीय सेवा से 17 माह में सेवानिवृत्त होने जा रहा है। उक्त

समय के बावजूद अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डॉ. श्रीमती पुष्पा मेहता बनाम आरसीएसएटी व अन्य में पारित निर्णय में ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को माननीय न्यायालय ने अनुचित माना है। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया आलोच्य आदेश उक्त विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत न करते हुये मौखिक रूप से यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी के संबंध में जारी किये गये स्थानान्तरण आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। किसी भी कार्मिक/अधिकारी को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यह नियोक्ता का अधिकार है कि जनहित में किस कार्मिक की सेवायें किस स्थान पर ली जानी है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय गुढा गौडजी, जिला झुंझुनू में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, चांदराई जालौर किया गया है। जहां तक अपीलार्थी की सेवायें राजकीय सेवा में मात्र 17 माह की शेष रहने के बावजूद उसका स्थानान्तरण किये जाने का प्रश्न है, अपीलार्थी की सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.2025 अर्थात् 2 वर्ष से भी कम समय शेष रहने पर स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि निकट भविष्य में होने वाली सेवानिवृति के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने **पंजाब राज्य बनाम जोगेन्द्र सिंह दत्त ए. आई.आर. 1993 एस.सी. 2486** के निर्णय में इस आधार पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था कि सम्बन्धित कर्मचारी 1 वर्ष 10 माह बाद सेवानिवृत्त होने वाला था। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य 2007(2) डब्लू.एल.सी. (राजस्थान) 775** के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निर्णय का अनुसरण करते हुए इस आधार पर स्थानान्तरण आदेशों में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था कि सम्बन्धित प्रार्थीगण

2 वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले थे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डीबी सिविल स्पेशल अपील (डब्ल्यू) संख्या 586/2013 श्री मानसिंह बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य निर्णय दिनांक 02.07.2014 में निम्न सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> *"It remains trite that ordinarily on other of transfer/posting does not call for interference by the court unless the same is shown to be in violation of any statutory provision or suffering from malafide. From the observations as made in the order impugned, it does not appear if any such allegation was made or pressed before the learned single Judge. For want of any such case, in the order impugned, the learned single Judge has rightly observed in the very first place that the transfer is on incident of service and no interference was called for. In our view, after such observations, the writ petitioner was not entitled for any relief by the writ Court and that too without notice to the other side.*
>
> *In our view, the observations as made in Dr. (Smt.) Pushpa Mehta's case, peculiar to the facts therein, cannot be held laid down a law of universal application that the employer is never entitled to pass a transfer/posting order in relation to a person who is likely to retire after some time."*

उपर्युक्त न्यायिक विनिश्चयों के मद्देनजर अपीलार्थी, जिसकी सेवानिवृत्ति में 17 माह का समय शेष है, के प्रकरण में यह अधिकरण किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना विधि के अनुरूप समीचीन नहीं समझता है। अतः अपीलार्थी के तर्क में कोई बल प्रकट न होने के कारण अपील खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)